

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)

सोमवार, 9 मार्च, 2015/ 18 फाल्गुन, 1936 (शक)

संख्या: 247

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1)

(मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा सचिव, विधान सभा को सम्बोधित पत्र संख्या-फिन-ए-सी(6)1/2014, दिनांक 9 मार्च, 2015 का उद्धरण):

“राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने तथा सभा के विचार करने की सिफारिश की है तदानुसार मैं हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) को विधान सभा में 12 मार्च, 2015 को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।”

सचिव,
विधान सभा।
